कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
(प्रशासन), बलरामपुर।

पत्रांकः 53 /अधि0/स0सु0/2020, दिनांकः 17 जून, 2020

अधिसूचना

चूंकि केन्द्रीय मोटरवाहन अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा–112 की उपधारा (2) में प्राविधानित है कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जनता की सुरक्षा, सुविधा या किसी सड़क अथवा पुल के खराब होने के कारण जनहित में मोटरयानों/विभिन्न श्रेणी के मोटरयानों की उक्त धारा की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को उक्त कारणों से संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित किया जा सकता है।

और जहॉ उक्त अधिनियम की धारा–112 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुसरण में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली–1998 के नियम 178 द्वारा जनपद के रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, को नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की अधिकारिता क्षेत्रों के भीतर यान की श्रेणी या श्रेणियों की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या–1377 दिनांक 06.04.2018 द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को जनहित में उपर्युक्त प्राविधानों के दृष्टिगत संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित करने का अधिकार प्रदत्त किया गया है,

अतः मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या–59, 1988) की धारा 112 की उपधारा (2) के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम–178 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बलरामपुर जनपद होकर निकलने/चलने वाले नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में मार्गो या मार्गो के अंश पर संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की अधिकतम गति सीमा निम्नलिखति तालिकानुसार निर्धारित की जाती है–

क्र0सं0	मार्ग का नाम एवं संख्या	स्थान (कहॉ से कहॉ तक) जहॉ गति निबंधित रहेगी	यान के श्रेणी अनुसार निबंधित कर निर्धारित की गयी गति सीमा			
			टू व्हीलर/थ्री व्हीलर	चालक सहित 7 सीटों तक वाले यान	चलक सहित 8 से 12 सीटों तक वाले यान	समस्त मालायान एवं स्तम्भ 4,5 एवं 6 को छोड़ कर अन्य समस्त यात्री यान
1	2	3	4	5	6	7
1	राष्ट्रीय मार्ग (बलरामपुर–तुलसीपुर–इटवा एवं तुलसीपुर–बढ़नी सहबद्व मार्ग)	बलरामपुर–तुलसीपुर–इटवा एवं तुलसीपुर–बढ़नी	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
2	राष्ट्रीय मार्ग (बलरामपुर–कौवापुर)	बलरामपुर–कौवापुर	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा

3	अन्य जिला मार्ग (कौवापुर–हरैय्या एवं सहबद्व मार्ग)	कौवापुर–हरैय्या	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
4	राष्ट्रीय मार्ग (बलरामपुर–तुलसीपुर)	बलरामपुर–तुलसीपुर	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
5	प्रमुख जिला मार्ग (तुलसीपुर–कोयलावास)	तुलसीपुर–कोयलावास	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
6	राज्य मार्ग (उतरौला डुमरियागंज वाया भेडरिया चौराहा)	उतरौला डुमरियागंज वाया भेडरिया	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
7	अन्य जिला मार्ग (बलरामपुर–महेशभारी–श्रीनगर (बाबागंज)– इटियाथोक)	बलरामपुर–महेशभारी –श्रीनगर(बाबागंज)– इटियाथोक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
8	अन्य जिला मार्ग (मधुपुर–गेड़ासबुजुर्ग–कुसमौराघाट–रेहरा–सादुल्ला नगर)	मधुपुर–गेड़ासबुजुर्ग–कुसमौराघाट–रेहरा–सादुल्लानगर	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
9	अन्य जिला मार्ग (रेहरा बाजार–सादुल्लाहनगर–गौरा चौकी)	रेहरा बाजार–सादुल्लाहनगर –गौरा चौकी	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
10	अन्य जिला मार्ग (बेलहा–आखर–गौरा चौराहा)	बेलहा–आखर–गौरा चौराहा	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
11	अन्य जिला मार्ग (तुलसीपुर–हरैय्या–चौधरीडीह – सिरसिया– भिन्गा)	तुलसीपुर–हरैय्या–चौधरीडीह–सिरसिया– भिन्गा	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
12	राष्ट्रीय मार्ग (महाराजगंज–बलरामपुर)	महाराजगंज–बलरामपुर	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
13	राज्य मार्ग (उतरौला–बलरामपुर)	उतरौला–बलरामपुर	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
14	राज्य मार्ग (उतरौला–रेहरा बाजार–मनकापुर–लकडमण्डी)	उतरौला–रेहरा बाजार–मनकापुर–लकडमण्डी	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
15	अन्य जिला मार्ग (बेलहा–गौरा–इटवा)	बेलहा–गौरा–इटवा	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
16	अन्य जिला मार्ग (कोड़री–मथुरा–चौधरीडीह)	कोड़री–मथुरा–चौधरीडीह	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा

गति सम्बंधी उपरोक्त प्रतिबंध निम्निलिखित शर्तो के अधीन प्रभावी होगा।

(i) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा– 116 में विनिर्दिष्ट साइन बोर्ड प्रतिबंधित स्थान के दोनो छोर–प्रारम्भिक एवं अन्तिम बिन्दु पर तथा मध्य में भी जगह–जगह पर आई0आर0सी0 कोड के मानक अनुसार संबंधित सड़क के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वाहन चालकों को इसकी जानकारी व ज्ञान हो सके तथा वे रात्रि में भी चमके इसके लिये रेट्रो–रिफ्लेक्टिव टेप का प्रयोग किया जायेगा।

(ii) उक्त प्रतिबंध केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 में विनिर्दिष्ट निम्न प्रकार के वाहनों पर लागू नहीं होगा।

अ) अग्नि शमन वाहन।
ब) एम्बुलेंस।
स) पुलिस वाहन।
द) कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य बल तथा अर्ध सैन्य बल के लिये प्रयुक्त होने वाले वाहन।
य) प्राकृतिक आपदा के प्रबंधन के लिये प्रयुक्त वाहन।

(iii) उपरोक्त तालिका के कॉलम–3 में उल्लिखित स्थानों को छोड़कर जनपद के सभी मार्गो के अन्य क्षेत्रों (नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर) में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा–112 की उप धारा (1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या 1377, दिनांक– 06.04.2018, समय–समय पर यथा संशोधित, द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा यथावत लागू रहेगी।

(अरविन्द कुमार यादव)
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी/
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, जनपद बलरामपुर

पृ0सं0– 53 स0सु0/2020 समदिनांकित–
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
1– परिवहन आयुक्त उ0प्र0।
2– अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात), यातायात निदेशालय, उ0प्र0।
3– जिला अधिकारी, बलरामपुर।
4– पुलिस अधीक्षक, बलरामपुर।
5– निदेशक, छपाई एवं मुद्रण सामग्री, राजकीय प्रेस, ऐशबाग, लखनऊ, को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को राज्य सरकार के प्रकाशित होने वाले सरकारी गजट में प्रकाशित करने के कष्ट करें।
6– अधिशाषी अभियन्ता, प्रान्तीय/निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बलरामपुर।
7– राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (पूर्वी/पश्चिमी), लखनऊ, उ0प्र0।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी/
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, जनपद बलरामपुर